न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–131/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रामसिंह पुत्र मन्नूलाल जाति मीणा निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।
2. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0

3. मंगलराम पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा,
4. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा,
5. देवीसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा निवासीयान सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....तर0 रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–15.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 23.11.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 2230 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम पीतमपुरा तहसील कठूमर में स्थित है । सायलान एवं प्रतिवादी सं0 4–5 एक ही परिवार के लोग है । सायल सं0 1 ल0 3 के पिता रामस्वरूप दादा मन्नाराम पड़दादा भोला सायल सं0 4 के पिता सुगर दादा भोला थे । जमाबन्दी सम्वत् 2028 में विवादित आराजी सायल सं0 1 ल0 3 के दादा तथा सायल सं0 4 के पिता सुगर के 1/2 हिस्से की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है । सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 से पूर्व भी विवादित आराजी का साबिक ख0 नं0 1429 मिन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सौंखर सायलान प्रतिवादी सं0 3–4 के क्रमशः पड़दादा, दादा भोला की तमाम साबिक राजस्व रेकार्ड में कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है । सायलान एवं

प्रतिवादी सं0 3–4 से पहले उनके पिता, दादा, पड़दादा ताजिन्दगी विवादित आराजी के मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते रहे । विवादित आराजी का प्रतिवादी सं0 3–4 का 1/2 हिस्सा विवादित आराजी तथा अन्य आराजी के घरेलू तकासमा में तन्हा सायलान के हक हिस्सा व कब्जे में आयी हुई आराजी है । अर्थात विवादित आराजी ख0 नं0 2230 रकबा 18 बिस्वा तन्हा सायलान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो सायल सं0 1 ल0 3 के 1/2 हिस्से सायल सं0 4 के 1/2 हिस्से की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है तथा इसी अनुसार ही सायलान विवादित आराजी के मौके पर कब्जे काश्त में है जिस आराजी को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से गैर सायल सं0 1 व 2 व उसके मातहत कर्मचारियान ने सायलान को बिना सुने, बिना बुलाये, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी बाबत सायलान के खातेदारी खत्म कर उसे गोपालप्रसाद पुत्र श्यामलाल ब्राह्मण निवासी जयगंज खेरली के नाम आवंटन गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी गोपालप्रसाद को कभी आवंटन नहीं हुई और ना इसका विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा । विधि विरूद्ध तरीके से ही खत्म कर इन्तकाल सं0 118 जरिये सिवायचक दर्ज की जबकि उक्त इन्तकाल सं0 118 सायलान को बिना सुने, बिना मौका तस्दीक हुए हुआ है । तभी से विवादित आराजी सिवायचक दर्ज चली आ रही है । गैर सायलान ने सायलान को धमकी दी है कि हम तुम्हे शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देगें तथा जबरन बेदखल करेंगे । जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि उन्होंने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा । इसलिए गैर सायलान को ताफैसला दावा पाबन्द किया जावें । प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 23.11.2012 को सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 23.11.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए कहा कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 23.11.2012 के विरूद्ध 225 आर.टी.एक्ट के तहत अपील पेश की गई है । तहत न्यायालय ने अपीलांट/वादी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवादित आराजी ख0 नं0 2230 रकबा 18 बिस्वा वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है जबकि वादी/अपीलांट का कहना है कि विवादित आराजी सम्वत् 2028 में वादीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज थी लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने उसके बाद उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया । यह इन्द्राज कानून के विपरित है तथा बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी की आराजी को सिवायचक दर्ज करने का अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय में हमारे द्वारा दावा 188 आर.टी.एक्ट के तहत विचाराधीन है । मौके पर कब्जा काश्त हमारी है । साबिक रेकार्ड हमारे पक्ष में है । इसलिए अपीलांट / वादी को तहत

न्यायालय के द्वारा जो स्थगन नहीं दिया जाकर खारिज किया है, उसकी अपील स्वीकार की जावें और मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि रेस्पो0/प्रतिवादी, वादी/अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें और कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट नहीं करें ।

जवाब बहस में पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक दर्ज है तथा वादी ने ऐसा कोई भी रेकार्ड पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह आराजी उनकी खातेदारी में रही है या बन्दोबस्त विभाग ने सिवायचक दर्ज की हो । वर्तमान में उक्त आराजी सरकारी सिवायचक है जो सरकारी जमीन है । सरकार की जमीन पर अपीलांट/वादी को अतिक्रमण करने कानूनन कोई अधिकार नहीं है । इसलिए तहत न्यायालय ने वादी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट सही खारिज किया है और अपील में भी प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली व अपील के तथ्यों एवं रेकार्ड का अवलोकन किया । कानूनी बिन्दुओं पर भी गौर किया ।

अपीलांट ने अपनी अपील के संबंध में यह तथ्य जाहिर किया है कि यह आराजी सम्वत् 2028 से उनकी खातेदारी में है । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने पर यह पाया कि वादी के प्रार्थना पत्र को तहत न्यायालय ने इस आधार पर खारिज किया है कि बन्दोबस्त से पूर्व वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि यह आराजी उनकी खातेदारी में रही है या कब्जा काश्त में रही हो । इसलिए न तो प्राईमाफैसी केस, न ही अपूरणीय क्षति और न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है । तहत न्यायालय की पत्रावली का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें सम्वत् 2028 के बन्दोबस्त की जमीन में ही अपीलांट/वादी का नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु वादी/अपीलांट ने अन्य किसी भी रेकार्ड से यह साबित नहीं किया है कि यह आराजी उनकी बन्दोबस्त से पूर्व खातेदारी में रही हो या उनका कब्जा काश्त रहा हो । वादी/अपीलांट ने न तो किसी प्रकार का रेकार्ड पेश किया है कि बन्दोबस्त के इन्द्राजों के आधार पर जिसमें वादी की खातेदारी दर्ज हो, बाद में सिवायचक क्यों दर्ज कर दिया गया ।

इसलिए प्रथम दृष्ट्या विवादित आराजी राजकीय भूमि होने से अपीलांट का विवादित आराजी से संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त रेकार्ड से सिद्ध है । इसलिए अपीलांट की अपील काबिले खारिजी के है और तहत न्यायालय के आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय दि0 23.11.2012 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर